

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 47/2019 वाद



श्रीमति कमला बाई

// बनाम //

राज० सरकार जरिये तहसीलदार

वाद धारा 88, 188 रा०का०अधि०

निर्णय

दिनांक 10.07.2019

पत्रावली पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी ने प्रकरण में नोट प्रेस किया है। अतः प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा

